न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

R-779-III/13

1. हीरालाल शुक्ला तनय श्री अवधशरण शुक्ला

2. सीतासरण शुक्ला तनय श्री जमुना प्रसाद शुक्ला

दोनो निवासी ग्राम नर्रहा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

3. श्रीमती सुनैना देवी पुत्री भीमसेन निवासी फाफर मुकाम नर्रहा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

4. जगदीश प्रसाद शुक्ला तनय रघुनाथ प्रसाद शुक्ला उम्र ७० वर्ष निवासी ग्राम नर्रहा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 ——निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम्

1. ~~तारा प्रसाद शुक्ला तनय श्री रघुनाथ प्रसाद शुक्ला~~ मृत

तारा प्रसाद के वारिसान—

1अ. फूलमती विधवा पत्नी स्व0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र 85 वर्ष

1ब. महेन्द्र प्रसाद तनय शुक्ला तनय स्व0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र 65 वर्ष

1स. सनत शुक्ला तनय स्व0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र 61 वर्ष

1द. संतोष शुक्ला तनय स्व0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र 55 वर्ष

1इ. प्रमोद शुक्ला तनय स्व0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र 48 वर्ष

सभी निवासी ग्राम नर्रहा पोस्ट सुकुलगवां तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)

2- श्रीमती ऊषा देवी पुत्री भीमसेन 3- मानधाता तनय रघुनाथ प्रसाद मृत

3- मानधाता के वारिसान—

3अ. मानवती शुक्ला विधवा पत्नी स्व0 मानधाता उम्र 75 वर्ष

3ब. राकेश शुक्ला तनय स्व0 मानधाता उम्र 36 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम नर्रहा पोस्ट सुकुलगवां तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)

गया

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0 विरुद्ध आदेश दि. 28/1/13 [illegible] रीवा [illegible] 1099/अपील/11-12. —2

-2-

(9)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

निगरानी 779–तीन/2013 जिला रीवा

हीरालाल शुक्ला आदि विरूद्ध तारा प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –7–2018	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1124/अपील/2005–06 नया प्रकरण कमांक 1099/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28–1–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की ओर से बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 20–9–05 को विधिवत बटवारा आदेश पारित किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने सही पाया। यह भी तर्क किया कि सभी अनावेदकगण एवं सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया गया था जिसके पश्चात सभी का नामांतरण हो गया था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा उक्त सभी विधिवत प्रश्नों की अनदेखी कर दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। 3/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि तहसीलदार द्वारा बिना किसी के कथन लिये तथा न कथन का प्रतिपरीक्षण किये और अनावेदकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश पारित किया था। अनावेदकों द्वारा तहसीलदार के	

समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी परन्तु उस पर एवं कानूनी बिन्दुओं पर बिना विचार किये जो आदेश पारित किया गया उसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष बटवारा/नामंतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी की गई। अनावेदक ताराप्रसाद की ओर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी जिसका तहसीलदार द्वारा निराकरण किया गया है अतः अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। पटवारी द्वारा उभय पक्ष के मध्य रजिस्टर्ड बटवारे के आधार पर बटवारा पुल्ली तैयार की गई थी जिसपर सभी हितबद्ध पक्षाकारों के हस्ताक्षर हैं। इश्तहार का प्रकाशन किया गया है तथा अनावेदक की आपत्ति प्राप्त होने पर उसका निराकरण किया गया है। तहसीलदार द्वारा सभी पक्षों का अपने अपने हिस्से पर कायम पाते हुये विधि में स्थापित बटवारा नियमों के अनुसार बटवारा आदेश पारित किया था। तहसीलदार द्वारा पारित विधिक आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी गुढ जिला रीवा द्वारा भी की गई है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में मात्र इस आधार पर

दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं कि पंचनामा तैयार नहीं किया है और न ही भूमि का बटवारा स्थिति अनुसार किया गया है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके की स्थिति के अनुसार ही बटवारा किया गया है और सभी पक्ष बटवारे में प्राप्त भूमियों पर काबिज है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश उचित नहीं कहा जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 28–1–13 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गुढ का आदेश दिनांक 20–9–05 एवं अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ जिला रीवा का आदेश दिनांक 31–8–06 स्थिर रखे जाते हैं।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

10/7/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य